

मंडल की 28 नवंबर 2019 को हुई विशेष बैठक में लिए गये निर्णय

अनु. क्र.	संकल्प संख्या	विषय	लिए गये निर्णय	विभाग/ प्रभाग
1.	197	प्रारूप सुधारित प्राक्कलन, 2019-20 तथा बजट प्राक्कलन, 2020-21.	प्रारूप सुधारित प्राक्कलन, 2019 -20 तथा प्रारूप बजट प्राक्कलन, 2020-21 मंजूर किया जाता है, बशर्ते कि महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 100 के साथ पठनीय धारा 98 के अन्तर्गत सरकार की मंजूरी मिले.	वित्त

मंडल की 28 नवंबर 2019 को हुई बैठक में लिए गये निर्णय

अनु. क्र.	संकल्प संख्या	विषय	लिए गये निर्णय	विभाग/ प्रभाग
1.	198	1 नवंबर 2019 को आयोजित मंडल की बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टी.	मंडल की 1.11.2019 को हुई बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की जाती है.	सामान्य प्रशासन
2.	199	मुंपोट्ट संपदा में जीर्ण-शीर्ण हुई 5 उन्नयित भंडारण टंकियों (इएसआरों) को ढा देना.	टिप्पणी के परिच्छेद 6 का मुख्य अभियंता का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	स्थापत्य
3.	200	सामग्री प्रबंधन प्रभाग के लिए एक मल्टीफंक्शनल डिजिटल फोटोकॉपियर मशीन (एक संख्या) का प्रापण.	टिप्पणी के परिच्छेद 5 का मुख्य यांत्रिकी अभियंता का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	यांत्रिकी
4.	201	मुंपोट्ट पेंशन विनियमों के विनियम 8 के अंतर्गत श्री. सुर्यकांत दत्तात्रय शिंदे, पूर्व-सहायक सुरक्षा अधिकारी (7.11.2009 से प्रभावी मुंपोट्ट की सेवा से अनिवार्य सेवानिवृत्ति) के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई.	टिप्पणी के परिच्छेद 5 का मुख्य सुरक्षा अधिकारी का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	सुरक्षा
5.	202	प्रस्तावित विकास के लिए मुंपोट्ट भूमि का पर्यावरणीय स्थल मूल्यांकन (इएसए) - इस उद्देश्य के लिए राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (नीरी) की नियुक्ति.	टिप्पणी के परिच्छेद 6 का मुख्य अभियंता का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	स्थापत्य
6.	203	अस्पताल का "ग्रैंड मुंबई पोर्ट हॉस्पिटल" से "ग्रैंड पोर्ट हॉस्पिटल" ब्रांडिंग करने हेतु दिनांक 1.11.2019 की न्यासी संकल्प संख्या 183 द्वारा पहले लिये गये मंडल के निर्णय का पुनर्विचार.	टिप्पणी के परिच्छेद 6 का मुख्य चिकित्सा अधिकारी का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	चिकित्सा
7.	204	चरण III-बी के अंतर्गत परामर्शदाता द्वारा प्रस्तुत मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के टाउनशिप क्षेत्र के लिए संकल्पनात्मक मास्टर प्लान.	टिप्पणी के परिच्छेद 13 का मुख्य अभियंता का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	स्थापत्य
8.	205	अपतटीय गतिविधियों अर्थात् मुंबई पोर्ट के 10 इंदिरा गोदी स्थित चिन्हित क्षेत्र के अंदर सुविधाओं, पोतभार सम्ललाई उपकरण सहित अथवा उनके बिना भंडारण/पोतभार प्रचालन हेतु खुली/छतदार जगह के आबंटन के लिए निविदा का आमंत्रण.	टिप्पणी के परिच्छेद 22 का यातायात प्रबंधक का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	यातायात

अनु. क्र.	संकल्प संख्या	विषय	लिए गये निर्णय	विभाग/ प्रभाग
9.	206	निविदा सं. सीएमओ-06/2018-19 - दो वर्षों की अवधि 2020-2021 के लिए मानवशक्ति तथा सामग्री प्रदान करके मुंपोट्ट आवासीय कॉलोनियों में सफाई सेवाएँ - संविदा की समाप्ति तथा श्रमिकों को वेतन का भुगतान.	(i) टिप्पणी के परिच्छेद 13 (1) से (5) तथा (8) में दिये गये मुख्य चिकित्सा अधिकारी के प्रस्ताव को अनुमोदित किया जाता है, और (ii) टिप्पणी के परिच्छेद 13(6) तथा (7) के संबंध में वित्त विभाग, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के जरिए भुगतान करने से पहले मुख्य चिकित्सा अधिकारी आवश्यक शर्तों को गठित करने हेतु कानूनी राय प्राप्त करें.	चिकित्सा
10.	207	24 सितंबर 2019 को आयोजित मंडल की बैठक में लिये गये निर्णयों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट.	24.9.2019 को आयोजित मंडल की बैठक में लिये गये निर्णयों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट अनुमोदित, पुनरीक्षित तथा रेकार्ड पर ली जाती है.	सामान्य प्रशासन
11.	208	दैनिक मुलाकात आधार पर मुंपोट्ट में विकास नियंत्रण विनियम के अनुप्रयोग हेतु विनियामक परामर्शदाता की नियुक्ति.	टिप्पणी के परिच्छेद 8 का मुख्य अभियंता का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	स्थापत्य
12.	209	मुंबई पोर्ट ट्रस्ट मरिजों को उपचार प्रदान करने हेतु क्रेडिट सुविधाओं का लाभ लेने के लिए समझौता ज्ञापन में यथा सहमत वर्तमान सीजीएचएस/मुंपोट्ट मानक L1 दरों के अनुसार वर्तमान संविदा अवधि की समाप्ति की तिथि से अगले दो वर्ष की अवधि के लिए वर्तमान वहीं शर्तों तथा निबंधनों पर पैनल में शामिल निजी अस्पतालों, अनन्य नेत्रोपचार अस्पतालों / केंद्रों, अनन्य दंतोपचार क्लिनिकों, कैंसर अस्पतालों / युनिटों तथा रोगनिदान केंद्रों की वर्तमान सूची का विस्तारण.	टिप्पणी के परिच्छेद 26 का मुख्य चिकित्सा अधिकारी का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	चिकित्सा

अनु. क्र.	संकल्प संख्या	विषय	लिए गये निर्णय	विभाग/ प्रभाग
13.	210	लीव्ह अॅण्ड लाइसेंस आधार पर तट रक्षक रिफिट तथा प्रॉडक्शन टीम, तट रक्षक क्षेत्र (पश्चिम), भारतीय तट रक्षक को मुंपोट्ट के भंडार भवन का पश्चिम स्कंध, 3 रा माला स्थित कार्यालय जगह का आबंटन तथा निम्नलिखित पर विचार करना: (i) प्रतिभूति जमा का अधित्याग. (ii) मासिक किराये के विलंबित भुगतान पर ब्याज के बारे में नरमी बरतना. (iii) दिनांक 20.8.2019 की संकल्प सं. 111 के अनुसार समाप्ति अवधि को 1 महीने के बदले 6 महीनों में परिवर्तित करना. (iv) पुनर्नवीयन खंड जोडना जो दिनांक 20.8.2019 की संकल्प सं. 111 में नहीं जोडा गया था.	चर्चा की टिप्पणी के समापन परिच्छेद में यथा प्रस्तुत निर्णयों को अनुमोदन प्रदान किया जाता है.	सम्पदा
14.	211	एस्कवायर शिपिंग अॅण्ड ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड - रोपॅक्स प्रचालक के साथ करार पर हस्ताक्षर.	टिप्पणी के परिच्छेद 13 का उप संरक्षक का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	समुद्री
15.	212	चौथा माला, भंडार भवन, माझगांव स्थित कार्यालय जगह के संबंध में टॅम्प (TAMP) के पक्ष में लीव्ह अॅण्ड लाइसेंस का पुनर्नवीयन.	अगले 60 महीनों की अवधि के लिए वर्तमान ₹9,53,585.37 के किराये को प्रति वर्ष 4% वृद्धि के साथ जारी रखने हेतु अनुमोदन प्रदान किया जाता है.	सम्पदा
16.	213	मुंपोट्ट की भूमि तथा जल क्षेत्र पर एमएमआरडीए द्वारा मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक (एमटीएचएल) का निर्माण. (i) एमएमआरडीए के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयु) को अनुमोदन. (ii) एमटीएचएल संबंधित मुद्दे.	टिप्पणी के परिच्छेद 19 का मुख्य अभियंता का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	स्थापत्य
17	214	राष्ट्रीय केमिकल्स अॅण्ड फर्टिलायझर्स लि. (आरसीएफ लि.) के प्रवाह में उतारे गये तथा हे बंदर में बार्जेस द्वारा लाये गये माल के साथ - साथ प्रवाह में उतारे गये तथा इंदिरा गोदियों में बार्जेस द्वारा लाये गये माल हेतु जहाज से उतराई पूर्ण करने (व्हीसीडी) की तिथि के अनुवर्ती 6 निःशुल्क दिनों को प्रदान करना.	निम्नलिखित को अनुमोदन प्रदान किया जाता है: (i) टिप्पणी के परिच्छेद 9 में दिया गया यातायात प्रबंधक का प्रस्ताव. (ii) आरसीएफ के माल के लिए हाजी बंदर क्षेत्र स्थित प्रवाह के बीच में प्रचालन.	यातायात

अनु. क्र.	संकल्प संख्या	विषय	लिए गये निर्णय	विभाग/ प्रभाग
18.	215	जेडी 4 पोतघाट में स्थिर प्रतिरक्षक छाज (फेंडर) का संस्थापन.	टिप्पणी के परिच्छेद 10 का मुख्य अभियंता का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	स्थापत्य
19.	216	1.4.2019 को यथास्थिति मंडल के कर्मचारियों की अनुसूची.	विचार - विमर्श आस्थागित.	मानव संसाधन
20.	217	सभी महापत्तन न्यासों में विभाग प्रमुख के स्तर के अधिकारियों हेतु एक समान वेतन श्रेणियों का प्रारंभ. - मुंपोट्ट कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता तथा पदोन्नति) विनियम, 2010 में विभाग प्रमुखों के भर्ती नियमों में संशोधन.	महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 28 के साथ पठित मुंबई पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता तथा पदोन्नति) विनियम, 2010 के विनियम 5 के अंतर्गत, अनुलग्नक I में यथा निर्दिष्ट विभाग प्रमुखों के 7 पदों से संबंधित भर्ती नियमों में प्रस्तावित संशोधनों को मंजूरी प्रदान की जाती है, बशर्ते कि इसी की धारा 124 (i) तंत्र के अंतर्गत सरकार की मंजूरी हो.	मानव संसाधन
21.	218	मुंबई पोर्ट ट्रस्ट (पत्तन का सामान्य प्रबंधन) विनियम, 2019 - संशोधन का गठन.	टिप्पणी के परिच्छेद 4 का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	सामान्य प्रशासन
22.	219	मुंबई कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नती) विनियम, 2010. - सहायक सतर्कता अधिकारी के पद के लिए भर्ती नियमों में संशोधन.	महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 28 के साथ पठित मुंबई पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता तथा पदोन्नति) विनियम, 2010 के विनियम 5 के अंतर्गत, अनुलग्नक I में यथा निर्दिष्ट भर्ती नियमों में प्रस्तावित संशोधन को मंजूरी प्रदान की जाती है, बशर्ते कि धारा 124 (i) तंत्र के अंतर्गत सरकार की मंजूरी हो.	मानव संसाधन
23.	220	गोदियों के अंदर/बाहर भंडारण की जगह के लिए इंडिया पल्सेस अॅण्ड ग्रेन असोसिएशन (आईपीजीए) से अनुरोध.	टिप्पणी के परिच्छेद 11 का यातायात प्रबंधक का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	यातायात
24.	221	निविदा सं. ई - 78/2015 - इंदिरा गोदी, मुंबई स्थित अन्तर्राष्ट्रिय कुञ्ज टर्मिनल के उन्नयन/आधुनिकीकरण की परामर्शदात्री. - कार्य की व्याप्ति में बदलाव के कारण परमर्शदात्री शुल्क में वृद्धि.	टिप्पणी के परिच्छेद 8 का मुख्य अभियंता का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	स्थापत्य

अनु. क्र.	संकल्प संख्या	विषय	लिए गये निर्णय	विभाग/ प्रभाग
25.	222	गणेश मंदिर, डिलिमा स्ट्रीट, माझगांव के समिप 5.4 मीटर x 3.6 मीटर मापन के जमीन के एक टुकडे का बृहन्मुंबई मनपा को आबंटन.	टिप्पणी के परिच्छेद 8 का मुख्य अभियंता तथा विभाग प्रमुख (सम्पदा) का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	सम्पदा

C6/Pro 28 November 2019/actiontaken20191128